



सत्यमेव जयते



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 229 राँची, गुरुवार,

15 मई, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

14 मई, 2025

संख्या-2/रा. स्था. शक्ति प्रदत्त-03/2017-1289(02)/रा.--उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-447/जि०भू०अ०, दिनांक-15.02.2025 द्वारा प्रतिवेदित जिला भू-अर्जन कार्यालय, दुमका में कार्य की महत्ता एवं अधिकता के आलोक में श्री अब्दुश समद, भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका को उनके कार्यों के अलावे पथ प्रमण्डल, दुमका से प्राप्त होने वाले परियोजनाओं के भू-अर्जन का कार्य सम्पादन करने हेतु अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013) की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश, से,

कमलाकांत गुप्ता,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।